है कि अक्तूबर/दिसम्बर, 1987 की तिमाही की पत्रिका के अद्यतन अंक में प्रिन्ट लाइन मे वह सूचना नहीं है जो भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में रखी गई है । यह विसंगति केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मुद्रक और प्रकाशक को बदलने के लिए नई घोषणा दायर न किए जाने के हकारण हुई हैं । भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा इस विसंगति का उपयुक्त कार्रवाई हेतु केन्द्रीय जल आयोग के ध्यान में ला दिया गया है ।

(ग) जब भी इस प्रकार की कोई विसंगति ध्यान में आती है, उस पर कानून के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

Observance of Direcions regarding Safety in Chemicals Producing Factories

3242. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what action has been taken by the management of Sri Ram Food and Fertilizers Ltd. on the directions of Delhi Administration/Supreme Court of India to ensure safety;

(b) whether other factories which produce hazardous chemicals, have also been directed to take similar action;

(c) if so, what are the names of those factories;

(d) what are the details of action taken by them; and

(e) what action is proposed against the undertaking which are defying the guidelines/directions or orders?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (e) An Expert Committee appointed by the Delhi Administration in May 1985 submitted its report pertaining to the caustic-chlorine Plant of M/s. Sri Ram Food and Fertilizers Industries (SFFI) in September, 1985. The Delhi Administration directed the management of M/s. SFFI to comply with the recommendations of the Expert Committee. An order under Section 40(2) of the Factories Act, 1948, prohibiting use of the plant until adequate safety measures were adopted, was issued by Delhi Administration on the 7th December, 1985. In the meantime a civil writ petition had been filed in the Supreme Court by an advocate seeking, *inter-alia*, directions for shifting of the factory from its present location. The Supreme Court in its judgements dated the 17th February, 1986 and the 10th March, 1986, ordered restarting of the plant subject to fulfilment of certain conditions. These conditions have been complied with by the management in so far as it related to them. As per the directions of the Supreme Court the plant in inspected by the officers of the Inspectorate of Factories of the Labour Department, Delhi Administration every week after it restarted working on 29th April, 1986. The management of M/s. Shriram Food & Fertilizer Industries have not so far restarted the sulphuric acid and its other acid-based plants.

No study specifically with reference to other factories which produce hazardous or lethal chemicals has been conducted by the Delhi Administration. However, the factories engaged in operations or manufacturing processes declared dangerous under the Factories Act, 1948, are inspected by the Factory Inspectorate of the Delhi Administration with a view to checking compliance with safety provisions by the managements of these factories. During the years 1985 and 1986, 105 such factories were inspected and legal action against the management of 80 factories for non-compliance with safety provisions was taken.

दिल्ली के समाचार पत्रों द्वारा पालेकर पंचाट को लागू न किया जाना

3243. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किन समाचार पत्रों ने पालेकर पंचाट को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है ;

(ख) किन समाचार पत्रों ने बछावत पंचाट के अनुसार अब तक अन्तरिम राहत नहीं दी है ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन जो इस मामले में समुचित सरकार है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली में स्थित निम्नलिखित समाचार पत्र प्रतिष्ठानों ने पालेकर अवार्ड को आंशिक रूप से लागू किया है :—

(i) मैसर्स बेनेट कोलमन लि., नई दिल्ली वर्गीकरण के मामले में प्रबंध तंत्र ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की तथा वह तारीख 20.5.81 और 4.12.81 के आदेशानुसार बढ़ी हुई राशि का 50 प्रतिशत दे रहा है ।

(ii) मैसर्स अल्जामियात (अब बन्द हैं) ।

(iii) मैसर्स समाचार भारती (अब बन्द है) ।

(iv) मैसर्स डेली दावते उनके आपसी करार के अनुसार ग्रुप–iii की बजाय ग्रुप–iv को कातिब दिए जा रहे हैं ।

(v) मैसर्स सवेरा अंशकालिक श्रम जीवी पत्रकारों को उनकी पुरानी परिलब्धियां दी जा रही हैं जैसा कि उनका विकल्प था ।

(vi) मैसर्स शमा ग्रुप

प्रबंध तंत्र तारीख 28.8.80 तथा 31.3.81 के आपसी करार के अनुसार मजदूरी का भुगतान कर रहा है । अवार्ड के लाभ केवल पत्रिका कर्मचारियों को दिए जाते हैं ।

दिल्ली प्रशासन को किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान द्वारा अन्तरिम राहत की अदायगी न किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के लिए कार्यकारी दल

3244. **डा. रत्नाकर पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात और खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए कोई कार्यकारी दल या पदाधिकारी प्रतिनियुक्त है ;

(ख) क्या हिन्दी भाषी राज्यों के सभी कर्मचारि अनिवार्य रूप से हिन्दी में काम करते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें केवल हिन्दी मे काम करने के लिए निर्देश दिये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) : (क) जी, हां । इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन दो अधीनस्थ कार्यालय है—भारतीय जांच ब्यूरो तथा भारतीय भू-सर्वेक्षण इन दोनों संगठनों के कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए उत्तरदायी है तथा इन दोनों कार्यालयो में यथा अपेक्षित राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 23.11.87 के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों के अनुसरण में इस मंत्रालय के अधीन क्षेत्र "क" और "ख" में स्थित सभी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं कि हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी 1.4.88 से कुछ विशिष्ट श्रेणियों के मसौदे हिन्दी में ही प्रस्तुत करेंगे ।